सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 21.07.2025 को आयोजित विभागीय साप्ताहिक समीक्षा बैठक की कार्यवाही:

क्र0 सं0	कार्य / विषय	निर्णय / निदेश
1	बिहार विधान सभा / विधान परिषद् से प्राप्त प्रश्न के संबंध में।	बिहार विधान सभा / विधान परिषद् से प्राप्त निवेदन, शून्यकाल, याचिका, आश्वासन, ध्यानाकर्षण, तारांकित, अतारांकित एवं अल्पसूचित **लंबित प्रश्न का उत्तर समयावधि के अंदर तैयार** कर बिहार विधान सभा / विधान परिषद् सचिवालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये। (अनुपालन– प्रशाखा–9 एवं अन्य सभी प्रशाखा)
2	MJC/CWJC के लंबित मामले।	**Counter Affidavit** दायर करने की संख्या शून्य है, जो काफी असंतोषजनक है। सभी प्रभारी पदाधिकारी अपने प्रशाखा अंतर्गत CWJC/MJC/LPA/SLP इत्यादि के लंबित मामले की समीक्षा कर समीक्षोपरांत विभागीय पैनल अधिवक्ता से सम्पर्क कर Counter Affidavit तैयार किया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही प्रभारी पदाधिकारी अपने प्रशाखा से संबंधित लंबित सभी CWJC/MJC/LPA/SLP इत्यादि के मामले में समयावधि के अंदर **Counter Affidavit** दायर करना सुनिश्चित करें। (अनुपालन–सभी प्रभारी पदाधिकारी)
3	कार्यालय का अधुनिकीकरण एवं स्वच्छता के संबंध में।	विभागीय समन्वय बैठक के आलोक में कार्यालय का **आधुनिकीकरण एवं स्वच्छता** के संबंध में कार्रवाई करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग के वेबसाईट swachhbihar.bihar.gov.in पर अद्यतन प्रगति अपलोड किया जाये। (अनुपालन–प्रशाखा–1 एवं 9)
4	ऊर्जा दक्षता सुधार	ऊर्जा दक्षता सुधार अंतर्गत निर्मित पंचायत सरकार भवन पर 10kw क्षमता का एवं जिला पंचायत संसाधन केन्द्र भवन पर 5 kw क्षमता का रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाये जाने के संबंध में ब्रेडा, पटना से अनुरोध किया जाये। साथ ही जिन पंचायत सरकार भवन में रूफटॉप सोलर संयंत्र अधिष्ठापित किया जा चुका है, उसके रख–रखाव हेतु संबंधित पंचायत सचिव को नोडल बनाये जाने के संबंध में प्रस्ताव उपस्थापित किया जाये। (अनुपालन–प्रशाखा–2)
5	निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवनों का निरीक्षण।	विभाग (मुख्यालय) में पदस्थापित पदाधिकारी एवं क्षेत्रीय कार्यालय में पदस्थापित पदाधिकारी अपने क्षेत्राधीन **दिनांक 24.07.2025 (वृहस्पतिवार)** को भवन निर्माण विभाग, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन एवं ग्राम पंचायत के द्वारा निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवनों का **निरीक्षण** विभाग द्वारा Develop Application के माध्यम से करेंगे एवं **दो दिनों** के अंदर निरीक्षण प्रतिवेदन समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। (अनुपालन–सभी प्रभारी पदाधिकारी / प्रशाखा–2 / अनुश्रवण कोषांग)

क्र0 सं0	कार्य / विषय	निर्णय / निदेश
6	बिहार राज्य पंचायत सचिव संघ की मांग से संबंधित।	बिहार राज्य पंचायत सचिव संघ द्वारा समर्पित आवेदन के आलोक में विभिन्न बिन्दुओं यथा– • पंचायत सचिवों के ग्रेड–पे में संशोधन, • पंचायत सचिवों के पदोन्नति हेतु पद चिन्हित करने, • पंचायत सचिवों की शैक्षणिक योग्यता के आधार पर पदनाम परिवर्तन, • पंचायत सचिवों को ए0सी0पी0 / एम0ए0सी0पी0 का लाभ के लंबित मामले से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन उपर्युक्त बिन्दुओं के निष्पादन के लिए **बिहार राजस्व सेवा एवं बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग के पदाधिकारियों / कर्मियों** से संबंधित नियमावली / प्रावधानों का अध्ययन कर विभाग स्तर पर विचार किये जाने हेतु **सम्यक् प्रस्ताव के साथ** संचिका उपस्थापित किया जाये। (अनुपालन– प्रशाखा–1 एवं 4)
7	ग्राम पंचायतों के सचिवों का अंतर–जिला स्थानान्तरण / पदस्थापन हेतु Portal Develop किये जाने के संबंध में।	बिहार ग्राम पंचायत (पंचायत सचिव का स्थानान्तरण–पदस्थापन) विनियमावली, 2025 के आलोक में सचिवों का अंतर–जिला स्थानान्तरण / पदस्थापन हेतु IT Team द्वारा **Portal Develop** से संबंधित प्रस्तुतीकरण किया गया। उक्त के संबंध में **निदेशानुसार पोर्टल में आवश्यक सुधार एवं विस्तृत दिशा–निर्देश** तैयार कर पुनः एक सप्ताह के अंदर संचिका उपस्थापित किया जाए। (अनुपालन– प्रशाखा–4, / आई0टी0 मैनेजर / आई0टी0 कंसल्टेंट, बि0एस0पी0आर0आई)
8	ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण किये जाने वाले 1069 पंचायत सरकार भवन के संबंध में।	विभागीय पत्रांक–8247 दिनांक 01.07.2025 के आलोक में जिस ग्राम पंचायत में पंचायत सरकार भवन के निर्माण हेतु भूमि का चयन किया जा चुका है, वैसे पंचायतों को पंचायत सरकार भवन निर्माण प्रारम्भ करने हेतु आवश्यक दिशा निदेश एवं निधि उपलब्ध कराने हेतु कार्रवाई किया जाय। (अनुपालन– प्रशाखा–2)
9	मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के संबंध में।	स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन (LAEO) से संपर्क कर Site Planning/**मानक प्राक्कलन** प्राप्त करें एवं विकास आयुक्त के स्तर पर बैठक आयोजित करने के संबंध में तिथि एवं समय निर्धारण हेतु विकास आयुक्त से अनुरोध किया जाये। साथ ही कन्या विवाह मण्डप निर्माण के लिए भूमि चिन्हित करने हेतु जिला पदाधिकारी से अनुरोध किया जाये। (अनुपालन– प्रशाखा–2)
10	पंचायत सरकार भवन में फर्नीचर हेतु अद्यतन बाजार दर पर राशि का आकलन।	पंचायत सरकार भवन में फर्नीचर हेतु राशि का आकलन 5–6 वर्ष पूर्व किया गया था। महंगाई दर में वृद्धि के कारण वर्तमान परिस्थिति में फर्नीचर हेतु **अद्यतन बाजार दर के आलोक में राशि का आकलन** कर **संशोधित प्रस्ताव** के साथ संचिका उपस्थापित किया जाये। (अनुपालन– प्रशाखा–2)

क्र0 सं0	कार्य / विषय	निर्णय / निदेश
11	ग्राम कचहरी न्यायमित्र के नियोजन के संबंध में।	बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र (नियोजन, सेवाशर्त्त एवं कर्त्तव्य) नियमावली, 2007 के अधीन राज्य के विभिन्न ग्राम कचहरियों अथवा उसकी न्यायपीठ को सहायता के लिए ग्राम कचहरी न्यायमित्र के मेधा सूची के विरूद्ध **चयनित अभ्यर्थियों के नियोजन के लंबित मामले 30 जुलाई, 2025 तक निष्पादित कर अद्यतन प्रतिवेदन उपस्थापित किया जाये।** (अनुपालन– प्रशाखा–4)
12	अनुश्रवण कोषांग / अनुश्रवण एवं मूल्यांकन (M&E)	**ई–ग्राम स्वराज** पोर्टल एवं ई–पंचायत पार्टल से **15 लाख रुपये से अधिक की योजना**, जिसका क्रियान्वयन निविदा के माध्यम से नहीं किया गया है, का MIS अनुश्रवण कोषांग द्वारा उपलब्ध कराया गया है। उक्त योजनाओं की जांच कराकर **जांच प्रतिवेदन** उपलब्ध कराये जाने हेतु संबंधित जिला पदाधिकारी को पत्र निर्गत करें। (अनुपालन–प्रशाखा–3 एवं 5 / अनुश्रवण कोषांग)
13	तकनीकी सहायक द्वारा किये जा रहे कार्यों का अनुश्रवण।	दैनिक आधार पर तकनीकी सहायक द्वारा किये जा रहे कार्यों (योजनाओं का निरीक्षण इत्यादि) का अनुश्रवण हेतु NIC की मदद से **यथाशीघ्र App Develop** किया जाये एवं तकनीकी सहायक के कार्यों का **दैनिक आधार पर अनुश्रवण** सुनिश्चित किया जाये। (अनुपालन– प्रशाखा–3 / अनुश्रवण कोषांग / आई0टी0 मैनेजर)
14	प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के पद को राजपत्रित पद घोषित करने के संबंध में।	प्रखंड स्तर पर पदस्थापित विभिन्न विभागों के पदाधिकारी का पद राजपत्रित हैं अथवा नहीं, का अध्ययन कर तुलनात्मक विवरणी एवं आवश्यक दस्तावेजों के साथ, **प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के पद को राजपत्रित** किये जाने के संबंध में प्रस्ताव तैयार कर संचिका उपस्थापित किया जाये। (अनुपालन–प्रशाखा–1)
15	बेल्ट्रॉन द्वारा ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराये जा रहे कम्प्यूटर, स्कैनर सहित प्रिन्टर एवं यू0पी0एस0 का अनुश्रवण	बेल्ट्रॉन द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे कम्प्यूटर, स्कैनर सहित प्रिन्टर एवं गुणवत्तायुक्त यू0पी0एस0 का अनुश्रवण विभागीय **पत्रांक–4864 दिनांक 03.04.2025** में उल्लिखित **शर्त्तों** के आलोक में किया जाये। अब तक कम्प्यूटर, स्कैनर सहित प्रिन्टर एवं यू0पी0एस0 के अधिष्ठापन का अद्यतन प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाये। (अनुपालन–प्रशाखा–2 / अनुश्रवण कोषांग एवं बिहार राज्य पंचायत संसाधन संस्था)
16	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) योजना।	(i) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना अंतर्गत **Trainer Empanelment के लिए विज्ञापन / सूचना** (Education एवं Experience सहित) प्रकाशित किया जाये। (ii) RGSA योजना के प्रावधान एवं वित्तीय वर्ष 2025–26 का अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना के आलोक में **Turnkey basis** पर **कम्प्यूटर, फर्नीचर, डी.पी.आर.सी. में कम्प्यूटर लैब–सेटअप** करने एवं Manpower के संबंध में **Tender** प्रकाशित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाये।

क्र0 सं0	कार्य / विषय	निर्णय / निदेश
		(iii) BGSYS के पदाधिकारियों / कर्मचारियों का विभागीय संकल्प के आलोक में BSPRI **(RGSA योजना के प्रावधानानुसार)** अंतर्गत **मैपिंग** करने का प्रस्ताव प्रशाखा–2 के वरीय पदाधिकारी एवं परियोजना निदेशक, BSPRI के माध्यम से उपस्थापित किया जाये। (iv) विभागीय संकल्प संख्या–5749 दिनांक 24.09.2020 के आलोक में BSPRI के **पदाधिकारियों / कर्मचारियों का पारिश्रमिक (Remuneration)** के बिन्दु पर समीक्षा हेतु **प्रस्ताव** प्रशाखा–2 के वरीय पदाधिकारी एवं परियोजना निदेशक, BSPRI के माध्यम से उपस्थापित किया जाये। (अनुपालन–प्रशाखा–2 एवं बिहार राज्य पंचायत संसाधन संस्था)
17	**अंकेक्षकों का Restructuring एवं कर्त्तव्य / दायित्व निर्धारण के संबंध में।**	(i) अंकेक्षकों के Restructuring हेतु प्रस्ताव तैयार करने का निदेश बार–बार दिये जाने के बाद भी अबतक उपस्थापित नहीं किया जा सका है। एक सप्ताह के अन्दर अंकेक्षकों के Restructuring का प्रस्ताव उपस्थापित किया जाये। (ii) बिहार पंचायत राज अंकेक्षण संवर्ग नियमावली, 2019 अंतर्गत अंकेक्षकों के पद का अनुमान्य वेतन लेवल–5 से लेवल–7 पर पुनरीक्षण किये जाने संबंध में अध्ययन कर सम्यक् प्रस्ताव उपस्थापित किया जाये। (अनुपालन–प्रशाखा–7)

सधन्यवाद बैठक समाप्त की गई।

25/07/25

(मनोज कुमार)
सचिव,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक: 9प / प्र0–08–802(खण्ड) / 2016 / 9281 / पं०रा०   पटना, दिनांक 23 / 7 / 2025

प्रतिलिपि: विशेष सचिव / निदेशक / परियोजना निदेशक / अपर सचिव / संयुक्त सचिव / उप सचिव / विशेष कार्य पदाधिकारी / अवर सचिव / आन्तरिक वित्तीय सलाहकार / सभी प्रशाखा पदाधिकारी / प्रभारी अनुश्रवण कोषांग / राज्य परियोजना प्रबंधक, मानव संसाधन–सह–प्रशासन, बिहार राज्य पंचायत संसाधन संस्था, पटना / श्रीमती रंजना कुमारी, आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेशानुसार अनुरोध है कि अपने प्रशाखा से संबंधित विषयों पर कार्रवाई करते हुए अनुपालन सुनिश्चित करने की कृपा की जाये।

(गोविन्द चौधरी)
उप सचिव,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांकः 9प / प्र0–08–802(खण्ड) / 2016 / 9281 / पं०रा०　　　　पटना, दिनांक 23 / 7 / 2025

प्रतिलिपि:–सचिव के प्रधान आप्त सचिव / विशेष सचिव के आशुलिपिक / निदेशक के आशुलिपिक, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(गोविन्द चौधरी)
उप सचिव,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांकः 9प / प्र0–08–802(खण्ड) / 2016 / 9281 / पं०रा०　　　　पटना, दिनांक 23 / 7 / 2025

प्रतिलिपिः माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव, को सूचनार्थ प्रेषित।

(गोविन्द चौधरी)
उप सचिव,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना